म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26,किसान भवन,अरेरा हिल्स,भोपाल

क्रमांक–बी–6 / नियमन / (MD-PA) 2019--2020 / 534 भोपाल, दिनांक 18/03/2020

प्रति,

1. संयुक्त संचालक / उप संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ............... (समस्त)
(म.प्र.)

2. भारसाधक अधिकारी / सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति ......................(समस्त)
जिला ...................... (म.प्र.)

विषयः– COVID-19 (कोरोना वायरस) के संबंध में दिशा–निर्देश।

–0–

COVID-19 (कोरोना वायरस) का संक्रमण वर्तमान में यह दुनिया के लगभग 145 देशों में पहुंच गया है। भारत में भी इसके संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी घोषित किया है।

भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सभी सरकारें कोरोना वायरस को लेकर चिंतित हैं और लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रही है। क्योंकि इसके लक्षण की पहचान करके ही कोरोना वायरस की रोकथाम की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार कोरोना वायरस के लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। इससे संक्रमित होने पर तेज बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना, गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सम्पर्क में आने से फैलता है। संक्रमण को फैलने से रोककर ही इस पर काबू किया जा सकता है।

वर्तमान में प्रदेश की सभी मण्डी समितियों में रबी सीजन प्रारंभ हो रहा है। किसान अपनी कृषि उपज को लेकर बड़ी संख्या में मण्डी प्रांगण में प्रवेश करेंगें। इसलिए मण्डी प्रांगणों में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए निम्नानुसार सावधानियां अपनाना बहुत जरूरी है।

(1) मण्डी प्रांगण में कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में स्थापित की गई बॉयामेट्रिक मशीन से उपस्थिति का सत्यापन 31 मार्च, 2020 तक स्थगित किया जाए तथा उपस्थिति के लिए पृथक से एक पंजी संधारित की जाए, जिसमें मैन्युअल उपस्थिति दर्ज की जाए।

(2) मण्डी प्रागणों मे किसान सम्मेलन, धार्मिक आयोजन अथवा अन्य कार्यक्रम जिनमे बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, उन्हें स्थगित रखा जाए और ऐसे आयोजन फिलहाल न किए जाए।

(3) मण्डी परिसर के शौचालयों, कार्यालय परिसरों, केन्टीन तथा विश्राम गृहों में स्थित शौचालयों में नियमित साफ–सफाई, पानी की उपलब्धता के साथ–साथ साबुन/हैंडवाश/सैनिटाइजर अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(4) मण्डी कार्यालयों/संभागीय कार्यालयों में स्थित शौचालयों की साफ–सफाई, पानी एवं साबुन/हैंडवाश/सैनिटाइजर का उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(5) मण्डी प्रांगण में कर्मचारियों/किसानों एवं व्यापारियों को समझाइश दी जाए कि वह खांसते एवं छींकते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल या तौलिया से ढंककर रखें।

(6) जिन व्यक्तियों में जुखाम अथवा फ्लू के लक्षण हों उन्हें मास्क का उपयोग करने की सलाह दें।

(7) समस्त मण्डी कर्मचारियों को मण्डी निधि से मास्क उपलब्ध कराए जावें।

(8) कार्यालय में नियमित रूप से एवं बार–बार साबुन, हैंडवाश एवं सैनिटाइजर से हाथों की अच्छी तरह से सफाई करने की समझाइश दी जाए।

(9) स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह वायरस सामान्यतः अधिक उम्र के लोगों में जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज आदि की शिकायतें हैं, उन्हें विशेष सावधानियॉ बरतने के लिए कहें।

(10) अनाज मण्डी के साथ ही फल–सब्जी मण्डी में भी अधिक लोगों के बीच में रहने वाले कर्मचारियों को मास्क उपलब्ध कराया जाए। अगर कोई कर्मचारी या मण्डी कृत्यकारी सर्दी, जुखाम तथा बुखार से पीड़ित है, तो उसे निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में परीक्षण कराने एवं घर पर आराम करने की समझाइश दी जावे। यथासमय उसका अवकाश स्वीकृत किया जाए।

(11) मण्डी कार्यालय/मण्डी प्रांगण क्षेत्र में कोरोना वायरस के लक्षण से प्रभावित व्यक्ति की जानकारी प्राप्त होने पर उन्हें जनहित/सुरक्षा क दृष्टिगत प्रवेश वर्जित करते हुए तुरन्त निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में उसे चिकित्सक से सम्पर्क करने की सलाह दें।

(12) कृषि उपज मण्डी समितियों में मास्क खरीदने के लिए मण्डी निधि में राशि उपलब्ध न होने तथा राशि की आवश्यकता होने पर तत्काल मण्डी बोर्ड, मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

(13) समस्त मण्डियां थर्मल स्केनर (1–2) क्रय कर मण्डी में आने वाले समस्त व्यक्तियों की स्केनिंग सुनिश्चित करें एव बुखार/अस्वस्थता या अन्य लक्षण पाये जाने पर प्रवेश वर्जित करते हुए निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र जान की सलाह दी जावे।

(14) ऐसी मण्डी समितियां जो जिला मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय जहां पर स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा जिला अस्पताल के चिकित्सक से समन्वय स्थापित एवं संपर्क कायम रखें एवं आवश्यकता पड़ने पर सूचित करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

18.3.20

(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक–बी–6/नियमन/(MD PA) 2019–2020/535 भोपाल, दिनांक 18/03/2020

<u>प्रतिलिपिः</u>–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. अपर संचालक(समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री(समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
4. संयुक्त संचालक/उप संचालक(समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।

18.3.20

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

# मध्यप्रदेश शासन
# लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
# मंत्रालय

--00--

क्रमांक 36/प्र.स./स्वा/सत्रह/ मेडि-तीन  भोपाल, दिनांक 15/03/2020

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र.Mail/3371 दि. 18/3/2020
शाखा Add (प्रशा.)
प्रबंध संचालक

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   मध्य प्रदेश शासन,
   शासन के समस्त विभाग,
   समस्त विभागाध्यक्ष
2. समस्त संभागायुक्त/ कलेक्टर मध्य प्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत

विषय:- COVID-19 (कोरोना वायरस) के संबंध में दिशा निर्देश ।

--00--

COVID-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है तथा लगभग डेढ़ लाख लोग इससे प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है।

2/ उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुऐ आज दिनांक 15.03.2020 राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

1. स्कूलों और कॉलेजों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाएँ।
2. सिनेमा हॉल तथा मैरिज हॉल को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाएँ ।
3. सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स, को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखे जाने के लिये आदेश जारी किये जाएँ ।
4. आंगनवाडियों को 31 मार्च 2020 तक बन्द किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये जाएँ।
5. कर्मचारियों की बायो-मेट्रिक उपस्थिति को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाए।
6. आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोहों को 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया जाए।
7. धार्मिक समारोहों को कम से कम करने के लिए धार्मिक प्रमुखों से आग्रह किया जाए।

8. 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाएँ।
9. विशेष तैयारियों एवं आपदा स्थिति से निपटने हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया जाएँ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/3/2020

**(डॉ. पल्लवी जैन गोविल)**
प्रमुख सचिव,
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन

पृ.क्रमांक-37/सत्रह/ मेडि-तीन भोपाल, दिनांक 15 /03 /2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, राज्यपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, मध्यप्रदेश।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि संचालनालय, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/2020

प्रमुख सचिव,
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन

F.No.11013/9/2014-Estt.A.III
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)
*****

North Block, New Delhi
Dated: 16/03/2020
17th

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Preventive measures to be taken to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-19) – regarding.**

In order to contain the spread of Novel Coronavirus (COVID-19), some precautionary measures are required to be taken by all the employees and the Ministries/Departments. In this regard, it has been decided to issue the following advisory for the well-being of Government employees and in public interest.

2. All the Ministries/Departments are advised to take all necessary measures such as :-

(i) Install thermal scanners at the entry of Government buildings, as feasible. Mandatory placing of hand sanitizers at the entry of Government buildings. Those found having flu-like symptoms may be advised to take proper treatment/quarantine etc.

(ii) Discourage, to the maximum extent, entry of visitors in the office complex. Routine issue of visitors/temporary passes should be suspended with immediate effect. Only those visitors whom have proper permission of the officer who they want to meet, should be allowed after being properly screened.

(iii) Meetings, as far as feasible, should be done through video conferencing. To minimize or reschedule meetings involving large number of people unless necessary.

(iv) Avoid non-essential official travel.

(v) Undertake essential correspondence on official email and avoid sending files and documents to other offices, to the extent possible.

(vi) Facilitate delivery and receipt of dak at the entry point itself of the office building, as far as practicable.

(vii) Close all gyms/recreation centres/creches located in Government buildings.

(viii) Ensure proper cleaning and frequent sanitization of the work-place, particularly of the frequently touched surfaces.

(ix) Ensure regular supply of hand sanitisers, soap and running water in the washrooms.

(x) All officials may be advised to take care of their own health and look out for respiratory symptoms/fever and, if feeling unwell, should leave the workplace immediately after informing their reporting officers. They should observe home-quarantine as per the guidelines issued by MoH&FW, Government of India available at the following URL: **mohfw.gov.in/DraftGuidelinesforhomequarantine.pdf.**

(xi) The leave sanctioning authorities are advised to sanction leave whenever any request is made for self-quarantine as a precautionary measure.

(xii) Advise all employees who are at higher risk i.e. older employees, pregnant employees and employees who have underlying medical conditions, to take extra precautions. The Ministries/Departments may take care not to expose such employees to any front-line work requiring direct contact with the public.

3. An indicative list of Do's and Don'ts is also annexed for wide dissemination.

**Encl: As above**

17/3/2020

(Umesh Kumar Bhatia)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To,

1. All the Ministries/Departments, Government of India
2. PMO/Cabinet Secretariat
3. PS to Hon'ble MOS(PP)
4. PSO to Secretary(Personnel)
5. Sr. Tech. Dir., NIC, DoP&T

} For Information

## Do's

- To maintain personal hygiene and physical dista
- To practice frequent hand washing. Wash hand water or use alcohol-based hand rub. Wash hands eve ly clean.
- To cover your nose and mouth with handker sneezing and coughing.
- To throw used tissues into closed bins immediately after use.
- To maintain a safe distance from persons during interaction, especially with those having flu-like symptoms.
- To sneeze in the inner side of your elbow and not to cough into the palms of your hands.
- To take their temperature regularly and check for respiratory symptoms. To see a doctor if you feel unwell (fever, difficulty in breathing and coughing). While visiting doctor, wear a mask/cloth to cover your mouth and nose.
- For any fever/flu-like signs/symptoms, please call State helpline number or the 24x7 helpline number of the Ministry of Health & Family Welfare at 011-23978046.

## Don'ts

- Shake hands.
- Have a close contact with anyone, if you're experiencing cough and fever.
- Touch your eyes, nose and mouth.
- Sneeze or cough into palms of your hands.
- Spit in Public.
- Travel unnecessarily, particularly to any affected region.
- Participate in large gatherings, including sitting in groups at canteens.
- Visit gyms, clubs and crowded places etc.
- Spread rumours or panic.

# HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

No. 345/R-9/2020

Jabalpur, dated : 17 /03/2020

## ADVISORY/INSTRUCTIONS

In continuation to the earlier advisory/instructions dated 16.03.2020 with regard to precautionary measures in wake of the outbreak of Coronavirus (COVID-19), following additional instructions, are thereby issued to all the Courts at the District level and at Outstation (Tehsil/Subdivision) level in the State of Madhya Pradesh:-

1. All the Courts subordinate to this High Court will take up only bail matters and matters requiring urgent stay/injunction till 31.03.2020 and rest of the matters including final arguments matters (also time bound matters) shall be postponed beyond 31.03.2020.
2. The unit criteria applicable to Subordinate Courts including Family Courts shall remain suspended from 16.03.2020 till 31.03.2020.
3. No undertrial prisoners will be produced before the Subordinate Courts till 31.03.2020 and if production of any such persons is indispensable, the facility of video conferencing be utilized. For the purpose of extension of remand in remaining matters (in case the same is not possible through video conferencing), the District & Sessions Judges, will depute sufficient number of duty Judicial Magistrates in the Jails situated in the Districts for remand work, thereby avoiding human contact.
4. The District & Sessions Judges shall forthwith coordinate with District Administrations, Health Authorities, Bar Associations etc. for ensuring the cleanliness/senitization in the Court premises.
5. The District & Sessions Judges and Principal Judges, Family Courts shall ensure to stop the Biometric attendance of staffs till 31.03.2020 and till then attendance shall be taken in the attendance register.

6. All precautionary measures, as advised by the Government Authorities in the matter, be strictly adhered to and followed in letter and spirit.

By order of Hon'ble the Chief Justice

17/3/2020
**(RAJENDRA KUMAR VANI)**
**REGISTRAR GENERAL**

**Copy to:**

1. All the District & Sessions Judges and Principal & Additional Judges, Family Courts of the State of M.P. through e-mail.
2. Registrar (DE), Registrar (I&L), for information and necessary action.
3. Principal Senior System Analyst, for uploading on the website of High Court and email to all concerned.

17/3/2020
**(RAJENDRA KUMAR VANI)**
**REGISTRAR GENERAL**